

1. जयलाल पिता गंगा चमार

R5457-II/16

2. सुषमा पति राजेश चमार

दोनो निवासी ग्राम—कटकी तहसील—सिरमौर जिला—रीवा म०प्र०।

-पुनरीक्षणकर्तीगण / प्रार्थीगण

बनाम

अनिल कुमार द्विवेदी पिता रामावतार द्विवेदी निवासी ग्राम-कटकी तहसील-सिरमौर जिला-रीवा (म०प्र०)

2 ter 28/ mily oblice 120 10.16 राजस्य मण्डलं म०५० वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

-गैरपुनरीक्षणकर्ता / गैरयाची पुनरीक्षण विरूद्ध विद्धानं अधीनस्थ तहसीलदार नायब न्यायालय तहसील- सिरमौर वृत्त बैकुण्ठपुर जिला-रीवा म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कंमाक-77अ६अ / 2014-15 अन्तरिम दिंनाक-29/09/2016 के आदेश म0प्र0 धारा-50 अन्तर्गत विरुद्ध भू-राजस्व संहिता 1959ई0।

मान्यवर,

पुनरीक्षण / निगरानी का सूच्म तथ्य इस प्रकार है:-

माननीय विद्धांन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनिल कुमार विरूद्ध जयलाल वगैरह का खसरा सुधार का आवेदन लम्बित है, जिस पर पुनरीक्षणकर्तागण भूमि खसरा कंमाक-581/3 रकवा 0. 040हें0 जो पुनरीक्षणकर्ता कंमाक—02 सुषमा ने कय की थी और भूमि खसरा कंमाक— 582/2 रकवा 0.210हे0 जो दोनो स्थित ग्राम-कटकी की भूमि है क्य की गई थी और पुनरीक्षणकर्तागण का विधि संगत नामान्तरण हुआ और नामान्तरण उपरान्त राजस्व खसरे में अधिलिखित किसे ग्रामे किन्त गैर पनरीक्षणकर्तागण ने माननीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र0नि.5457-दो / 16

जिला-रीवा

जयलाल चमार/अनिल कुमार द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
02.02.17	1. प्रकरण प्रस्तुत।	•
	 आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 	
	 चूिक आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 	
	4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।	
	पा.प. हा।	e de la companya de l
W		